



पत्र सं०-

/मूल्यांकन अनुभाग /

दिनांक-

कार्यालय-आदेश

वर्ष 2015-16 हेतु परिषद योजनाओं की भूमि दरें कार्यालय आदेश सं०-2274/मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2015-16 दिनांक 30.03.2015 द्वारा पुनरीक्षित करके जारी किया गया था। उक्त दरों के सापेक्ष वाराणसी, लखनऊ एवं गाजियाबाद के अधीक्षण अभियन्ताओं तथा लखनऊ एवं मेरठ जोन के संयुक्त आवास आयुक्तों का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा दरों को 6 माह तक न बढ़ाए जाने की संस्तुति की गई। अतः भूमि दर पर पुनर्विचार हेतु पत्रांक-2293/मू०अनु० दिनांक 31.03.2015 द्वारा आवास अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2015 को बैठक आहूत की गई।

उक्त बैठक में "शासन की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत सस्ती दरों पर भवन उपलब्ध कराने तथा समाजवादी आवास योजना के भवनों की लागत को नियन्त्रित रखने की दृष्टि से एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि दरों को 6 माह तक के लिए स्थिर रखने के निर्णय के दृष्टिगत गहन विचार विमर्श किया गया।

उपरोक्तानुसार सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।

परिषद की समस्त योजनाओं की भूमि दरों को गत वर्ष-2014-15 की दरों पर दिनांक 30.09.2015 तक स्थिर रखी जाये।"

अतः बैठक के निर्णयानुसार, पत्रांक-2294/मू०अनु० दिनांक 31.03.2015 द्वारा जारी कार्यवृत्त के आधार पर कार्यालय आदेश सं०-2274/मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2015-16 दिनांक 30.03.2015 द्वारा जारी आदेश को दिनांक 30.09.2015 तक स्थगित किया जाता है तथा परिषद की समस्त योजनाओं के लिए गत वर्ष हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश सं०-310/मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2014-15; की भूमि दरें ही दिनांक 30.09.2015 तक प्रभावी रहेंगी।

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)

आवास आयुक्त

तददिनांक 31/3/15

संख्या- 2295 /मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2015-16/  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त(म०) के स्टाफ आफिसर को सूचनार्थ।
2. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
3. अपर आवास आयुक्त (सं०प्र०) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
5. मुख्य वास्तुविद नियोजक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, .....वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद .....को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिशासी अभियन्ताओं एवं उप खण्ड अधिकारियों को सम्बन्धित दरें पृष्ठ सं० ..... संसूचित करने का कष्ट करें।
7. संयुक्त आवास आयुक्त.....जोन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद .....को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त उप आवास आयुक्त/सहायक आवास आयुक्त एवं सम्पत्ति प्रबन्धक को सम्बन्धित दरें पृष्ठ सं० ..... संसूचित करने का कष्ट करें।
8. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
9. उप आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
10. जन प्रकोष्ठ मुख्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
11. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, मूल्यांकन, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।

(रंजन मिश्र)

वित्त नियंत्रक

३६